रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940
No. 633] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 865(अ)— भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और भांडागारण सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात:-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम 2018 है।

2. ये 01.01.2016 से प्रवृत्त माने जायेंगे।

3. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016 में :-

(क) अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी; अर्थात:-

"अनुसूची – 1

अधिकारी काडर

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पद(पदों) की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
1.	संयुक्त सचिव	01	समूह 'क'	स्तर-14 (144200-218200 रु)
2.	निदेशक (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'क'	स्तर-13 (123100-215900 रु)
3.	निदेशक (तकनीकी)	01	समूह 'क'	स्तर-13 (123100-215900 रु)
4.	अवर सचिव (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु)
5.	अवर सचिव (तकनीकी)	01	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु)
6.	उप निदेशक (विधिक)	01	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु)
7.	उप निदेशक (विपणन और प्रत्यय)	01	समूह 'क'	स्तर-11 (67700-208700 रु)
8.	प्रधान निजी सचिव	01	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रु)
9.	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त)	01	समूह 'ख'	स्तर-7 (44900-142400 रु)
10.	अनुभाग अधिकारी (तकनीकी)	01	समूह 'ख'	स्तर-7 (44900-142400 रु)

अनुसूची– 2

भर्ती की पद्धति

क्रम सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की पद्धति**	**अर्हता या अनुभव**	**सीधी भर्ती के लिए आयु**
1.	संयुक्त सचिव	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सिविल सेवाओं का समूह 'क' अधिकारी	लागू नहीं होता
2.	निदेशक (प्रशासन और वित्त)	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम	केन्द्रीय कर्मचारिवृंद स्कीम के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सिविल सेवाओं का समूह 'क' अधिकारी	लागू नहीं होता
3.	निदेशक (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ऐसे अवर सचिव (तकनीकी) की श्रेणी से की जाएगी जिसने इस श्रेणी में आठ वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रु) में या समतुल्य के सुसंगत क्षेत्र में सदृश पद	50 वर्ष से अनधिक

IndiaCode

			धारण कर रहे हैं; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु) के सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु) या समतुल्य के सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; और (iv) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री हो। **सीधी भर्ती के लिए:** जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री हो और भांडागारण सेक्टर जिसके अंतर्गत शीतागार अवसंरचना भी है, में अधिकारी या प्रबंधक या समतुल्य के रूप में पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव।	
4.	अवर सचिव (प्रशासन और वित्त)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त) जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु) या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है; और (iii) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ii) प्रशासन या वित्त या लेखा कर्म या बजट या सतर्कता या प्रबंध में एक अधिकारी के रूप में छह वर्ष का अनुभव	40 वर्ष से अनधिक
5.	अवर सचिव (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अनुभाग अधिकारी (तकनीकी) जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु) या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और ;	40 वर्ष से अनधिक

			(iii) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान में (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री है। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में बीएससी; और (ii) भांडागारण सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंधन या शीतागार अवसंरचना में अधिकारी या प्रबंधक या समतुल्य के रूप में छह वर्ष का अनुभव।	
6.	उप निदेशक (विधिक)	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु) या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और; (iii) जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है; और (ii) विधिक विषयों संबंधी छह वर्ष का अनुभव।	40 वर्ष से अनधिक
7.	उप निदेशक (विपणन और प्रत्यय)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु) या समतुल्य वाले पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है और ; (iii) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक एमबीए की शैक्षिक अर्हता हो या प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो जिसमें विपणन या वित्त में विशिष्टिकरण एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो; और (iv) विपणन और प्रत्यय में छह वर्ष का अनुभव हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक एमबीए की शैक्षिक अर्हता हो या प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो जिसमें विपणन या वित्त में विशिष्टिकरण एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो; और (ii) विपणन या प्रत्यय में छह वर्ष का अनुभव हो।	40 वर्ष से अनधिक

IndiaCode

8.	प्रधान निजी सचिव	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा निजी सचिव जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति के लिए :** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदधारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु) में आशुलिपिक की पंक्ति में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों । **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और (ii) जिसने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या ख्यात प्राइवेट कंपनी में आशुलिपिक के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों ।	40 वर्ष से अनधिक
9.	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन और वित्त)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा सहायक या लेखाकार जिसने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदधारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु) में वेतन या समतुल्य के साथ दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन या वित्त, सतर्कता या बजट का कम से	30 वर्ष से अनधिक

IndiaCode

			कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों; और (iv) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और (v) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और **(ii)** जिनके पास प्रशासन या वित्त या लेखाकर्म या बजट या सतर्कता या प्रबंध में पांच वर्ष का अनुभव हो; और **(iii)** कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो।	
10.	अनुभाग अधिकारी (तकनीकी)	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा अन्वेषक या फील्ड अधिकारी जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदधारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु) में या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iv) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में डिग्री है; और (v) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत कृषि भी है) में बीएससी; और (ii) भांडागारण सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंधन या शीतागार अवसंरचना में सहायक या समतुल्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो; और (iii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो।	30 वर्ष से अनधिक

टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,

कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष या सेवा निवृत्ति की आयु जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी |"

(ख) अनुसूची 4 और अनुसूची 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी; अर्थात:-

"अनुसूची –4

कर्मचारिवृंद काडर

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या***	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
1.	सहायक	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (35400-112400 रु)
2.	लेखाकार	01	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (35400-112400 रु)
3.	निजी सचिव	02	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (35400-112400 रु)
4.	अन्वेषक या क्षेत्रीय अधिकारी	03	समूह 'ग'	स्तर-5 (29200-92300 रु)
5.	वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक	01	समूह 'ग'	स्तर-4 (25500-81100 रु)
6.	चालक	01	समूह 'ग'	स्तर-2 (19900-63200 रु)
7.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	02	समूह 'ग'	स्तर-1 (18000-56900 रु)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुसूची -5

भर्ती की पद्धति

क्रम सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की पद्धति**	**अर्हता या अनुभव**	**सीधी भर्ती के लिए आयु**
1.	सहायक	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश पद धारण किया हुआ है; या	30 वर्ष से अनधिक

			(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में या समतुल्य वाले वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो प्रशासन या वित्त या सतर्कता या बजट में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; और (iii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; और (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और साथ ही सरकारी सेवा या किसी ख्यात प्राइवेट कंपनी में दो वर्ष का अनुभव हो; और (ii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो।	
2.	लेखाकार	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii)केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और साथ ही प्रशासन या वित्त या सतर्कता या बजट में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; और (iii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; और (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो। **वांछनीय:** सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण लिया हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; और (ii) सरकारी कार्यालय में लेखाओं का एक वर्ष का अनुभव या किसी ख्यात प्राइवेट संगठन में लेखा संभालने का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; और (iii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता रखता हो।	30 वर्ष से अनधिक
3.	निजी सचिव	आमेलन या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रोन्नति के लिए:** भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण में ऐसा वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक जिसने दस वर्ष की सेवा की हो।	30 वर्ष से अनधिक

India Code

			प्रतिनियुक्ति के लिए: (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे पदधारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता हो; और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या प्राइवेट ख्यात संगठन में आशुलिपि के रूप में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों।	
4.	अन्वेषक या क्षेत्र अधिकारी	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु) में या समतुल्य में या उससे अधिक के वेतन में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से विज्ञान विधा से उत्तीर्ण इंटरमीडिएट या 10+2 की शैक्षिक अर्हता हो; और (iv) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता हो। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो; और (ii) भांडागार सेक्टर या पश्च फसल कटाई प्रबंध या शीतागार अवसंरचना में तीन वर्ष का कार्य अनुभव; और (iii) कंप्यूटर प्रचालनों और टंकण में प्रवीणता रखता हो।	18 से 25 वर्ष के बीच
5.	वैयक्तिक सहायक या	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच

indiacode

	आशुलिपिक	सीधी भर्ती	पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में ऐसे अधिकारी जिन्होंने आशुलिपि पंक्ति में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधिकारियों में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य अधिकारी जिन्हें आशुलिपि का ज्ञान है और जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) कंप्यूटर प्रचालन मे प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों। **सीधी भर्ती के लिए:** (i) जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण किया है; और (ii) कंप्यूटर प्रचालनों में प्रवीणता आवश्यक है और जो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हों; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या प्राइवेट ख्यात संगठन में वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक या डाटा प्रविष्टि प्रचालक के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।	
6.	चालक	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त संगठन या कानूनी निकायों में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास चालन का तीन वर्ष का अनुभव हो। **सीधी भर्ती के लिए:** मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण हो और पढ़ने में समर्थ होना चाहिए तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से चालन अनुज्ञप्ति रखता हो और साथ ही तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच
7.	बहु कार्य कर्मचारिवृंद	आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति के लिए:** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या स्वायत्त या कानूनी निकायों में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति। **सीधी भर्ती के लिए:** मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण हो और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए। **वांछनीय:** कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच

टिप्पण-1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की

गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण-2.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-3.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष या सेवा निवृत्ति की आयु जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. डब्ल्यू डी आर ए/8/ए एंड एफ/2011]
गणेश ए. बाकड़े, निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

टिप्पण: भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा. का. नि. 694(अ) तारीख 14 जुलाई 2016 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Department of Food and Public Distribution

(Warehousing Development and Regulatory Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

G.S.R. 865(E).—In exercise of the powers conferred by section 33, read with clause (g) of sub-section (2) of section 51 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority with the previous approval of the Central Government and in consultation with Warehousing Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, namely:-

(1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of January, 2016.

(3) In the Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, -

(a) for Schedule-I and Schedule-II, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"Schedule I

Officers Cadre

Sl. No.	Name of post	No. of post(s)	Classification	Level in the pay matrix
1	Joint Secretary	01	Group 'A'	Level 14 (Rs.144200-218200)
2	Director (Administration and Finance)	01	Group 'A'	Level 13 (Rs.123100-215900)
3	Director (Technical)	01	Group 'A'	Level 13 (Rs.123100-215900)
4	Under Secretary (Administration and Finance)	01	Group 'A'	Level 11 (Rs.67700-208700)
5	Under Secretary (Technical)	01	Group 'A'	Level 11 (Rs.67700-208700)
6	Deputy Director (Legal)	01	Group 'A'	Level 11 (Rs.67700-208700)
7	Deputy Director (Marketing and Credit)	01	Group 'A'	Level 11 (Rs.67700-208700)
8	Principal Private Secretary	01	Group 'A'	Level 11 (Rs.67700-208700)
9	Section Officer (Administration and Finance)	01	Group 'B'	Level 7 (Rs.44900-142400)
10	Section Officer (Technical)	01	Group 'B'	Level 7 (Rs.44900-142400)

Schedule II

Methods of Recruitment

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
1	Joint Secretary	Central Staffing Scheme	Group 'A' officer of All India Services or Central Civil Services to be nominated by the Department of Personnel and Training under Central Staffing Scheme.	Not applicable
2	Director (Administration and Finance)	Central Staffing Scheme	Group 'A' officer of All India Services or Central Civil Services to be nominated by the Department of Personnel and Training under Central Staffing Scheme.	Not applicable
3.	Director (Technical)	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For promotion:** Appointment by promotion shall be made from the grade of Under Secretary (Technical) with minimum eight year of regular service in this grade. **For deputation:** (i) Officers of Central Government and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Central and State autonomous or statutory bodies holding analogous posts in the relevant field in the level 13 (Rs.123100-215900/-) in the pay matrix or equivalent; or (ii) five years of experience in the relevant field in the level 12 (Rs.78800-209200/) in the pay matrix; or (iii) ten years of experience in relevant field in the level 11 (Rs.67700-208700/-) in the	Not exceeding fifty years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			pay matrix or equivalent; and (iv) possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University. **For direct recruitment:** Possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University and fifteen years of work experience as an officer or Manager or equivalent in warehousing sector including Cold chain infrastructure.	
4.	Under Secretary (Administration and Finance)	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For promotion :** Section Officer (Administration and Finance) in Warehousing Development and Regulatory Authority with six year of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year service on regular basis in posts in the level 10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) possessing a degree from a Government recognised University or Institute. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) six years of experience as an Officer in Administration or Finance or Accountancy or Budget or Vigilance or Management.	Not exceeding forty years
5.	Under Secretary (Technical)	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For Promotion**: Section Officer (Technical) in Warehousing Development and Regulatory Authority with six years of regular service. **For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of service on regular basis in posts in the level 10 (Rs.56100-	Not exceeding forty years

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			177500/-) in the pay matrix or equivalent in the Parent cadre or Department; and (iii) possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University. **For direct recruitment:** (i) Bachelor of Science in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government recognised University; and (ii) six years experience as an Officer or Manager or equivalent in warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure.	
6.	Deputy Director (Legal)	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central or State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year service of on regular basis in posts in the level 10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) possessing a degree in law from a Government recognised University or Institute. **For direct recruitment:** (i) Possessing degree in law from a recognised University; and (ii) six years experience of having dealt with legal matters.	Not exceeding forty years
7.	Deputy Director (Marketing and Credit)	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation**: (i) Officers of the Central or State Government or Central or State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service on regular basis in posts in the level 10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (iii) possessing educational qualification of full time Master of Business Administration or two years Post Graduate Diploma in Management with specialisation in Marketing or Finance as major subject, from the Government recognised Institute or University; and	Not exceeding forty years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			(iv) six Years experience in Marketing and Credit. **For direct recruitment:** (i) Possessing educational qualification of full time Master of Business Administration or two years Post Graduate Diploma in Management with specialisation in Marketing or Finance as major subject, from the Government recognised Institute or University; and (ii) six years experience in Marketing or Credit.	
8.	Principal Private Secretary	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For promotion:** (i) Private Secretary in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officials in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with five years of regular service in Stenography line in the level 9 (Rs.53100-167800/-) in the pay matrix; and (iii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) six year regular service as Stenographer in Central or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous, statutory organisation or reputed private company; and (iii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi.	Not exceeding forty years
9.	Section Officer (Administration and	Absorption or Promotion or	**For promotion** : Assistant or Accountant or in Warehousing	Not exceeding thirty years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
	Finance)	Deputation or Direct recruitment	Development and Regulatory Authority with six years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the level 6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix; or (iii) two year of regular service with in the level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and (iv) possessing degree from a Government recognised University; and (v) proficiency in computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government recognised University; and (ii) five years experience in Administration or Finance or Accountancy or Budget or Vigilance or Management; and (iii) proficiency in computer operations and typing.	
10.	Section Officer (Technical)	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For promotion**: Investigator or Field Officer in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten years of regular service. **For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the level 6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix; or	Not exceeding thirty years

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age for direct recruitment
			(iii) two years of regular service in the level 7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre; and (iv) possessing degree in any Biological Sciences (including Agriculture) from a recognised University; and (v) proficiency in computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Bachelor of Science in any Biological Sciences (including Agriculture) from a Government Recognised University; and (ii) five years experience as an Assistant or equivalent in Warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure; and (iii) proficiency in computer operations and typing.	

Note-I. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-II. - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-III. - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years or the age of superannuation whichever is earlier.

Note-IV. - The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.**"**

(b) for Schedule IV and Schedule V, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"Schedule IV

Staff Cadre

Sl. No.	Name of post	No. of post *	Classification	Level in the pay matrix
1.	Assistant	01	Group 'B' Non Gazetted	Level 6 (Rs.35400-112400)
2.	Accountant	01	Group 'B' Non Gazetted	Level 6 (Rs.35400-112400)
3.	Private Secretary	02	Group 'B' Non Gazetted	Level 6 (Rs.35400-112400)

4.	Investigator or Field Officer	03	Group 'C'	Level 5 (Rs.29200-92300)
5.	Personal Assistant or Steno	01	Group 'C'	Level 4 (Rs.25500-81100)
6.	Driver	01	Group 'C'	Level 2 (Rs.19900-63200)
7.	Multitasking Staff	02	Group 'C'	Level 1 (Rs.18000-56900)

***** Subject to variation dependent on work load.

Schedule V

Methods of Recruitment

Sl. No.	**Name of the post**	**Mode of recruitment**	**Qualification or experience**	**Age limit for direct recruit**
1.	Assistant	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and (iii) possessing degree from a Government recognised University; and (iv) proficiency in computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognized University with two years of work experience in a Government service or a reputed private company; and (ii) proficiency in computer operations and typing.	Not exceeding thirty years
2.	Accountant	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation:** (i) Officers of Central and State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officers in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with six years of regular service in the level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre with at least three years experience in Administration or Finance or Vigilance or Budget; and	Not exceeding thirty years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
			(iii) possessing degree from a Government recognised University: and (iv) proficiency in computer operations and typing. **Desirable:** Having undergone training in Cash and Accounts in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) one year experience of accounts in a Government office or three years experience of handling accounts in a reputed private organisation; and (iii) proficiency in computer operations and typing.	
3.	Private Secretary	Absorption or Promotion or Deputation or Direct recruitment	**For promotion**: Personal Assistant or Steno in Warehousing Development and Regulatory Authority with ten year of service. **For deputation:** (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) officials in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies with five years of regular service in the level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix ; and (iii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) five years service as Stenographer in Central or State Government or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or private reputed organisation; and (iii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of a minimum of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per	Not exceeding thirty years

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
			minute in English or thirty words per minute in Hindi.	
4.	Investigator or Field Officer	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation:** (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts; or (ii) two years of regular service in the level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix; or equivalent or above; and (iii) possessing educational qualification of Intermediate or 10+2 passed from Science Stream from a recognised University or Board; and (iv) proficiency in Computer operations and typing. **For direct recruitment:** (i) Degree from a Government Recognised University; and (ii) three years work experience in Warehousing sector or Post Harvest Management or Cold Chain infrastructure; and (iii) proficiency in computer operations and typing.	Between eighteen and twenty-five years
5.	Personal Assistant or Steno	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation**: (i) Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies holding analogous posts in the Stenography Line; or (ii) Lower Division Clerks or equivalent officers knowing Short hand and with three years regular service in Officers of Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies; and (iii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi. **For direct recruitment:** (i) Having passed Intermediate or 10+2 from any recognised Board; and (ii) proficiency in Computer operations is essential and possessing stenography speed of eighty words per minute and a minimum typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi; and	Between eighteen and twenty-five years

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post	Mode of recruitment	Qualification or experience	Age limit for direct recruit
			(iii) at least one year experience of working as Personal Assistant or Stenographer or Data Entry Operator in Central or State Governments or Central and State Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Bodies or private reputed organisation.	
6.	Driver	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation**: Persons holding analogous post in Central or State Governments or Autonomous Organisation or Statutory Bodies with three years experience of driving. **For direct recruitment:** Metric pass and should be able to read and driving license from recognised institution with three years experience.	Between eighteen and twenty-five years
7.	Multitasking Staff	Absorption or Deputation or Direct recruitment	**For deputation**: Persons holding analogous post in Central or State Governments or Autonomous Organisation or Statutory Bodies. **For direct recruitment:** Metric Pass and should be able to read and write English. **Desirable**: Working knowledge of computers.	Between eighteen and twenty-five years

Note-I.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note-II. - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-III. - Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years or the age of superannuation whichever is earlier.

Note-IV. - The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application."

[F. No. WDRA/8/A&F/2011]
GANESH A BAKADE, Director (Admn & Fin.)

Note: - The Warehousing Development and Regulatory Authority (Conditions of service of the Officers and other Employees) Regulations, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 694(E), dated the 14th July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.19 11:14:42 +05'30'